**रवि शंकर चौधरी, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, अरवल की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2020 को 12.00 बजे अप0 में विभिन्न संघों के अध्यक्षों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही :–**

---

उपस्थिति :– यथापंजी।

कार्यवाही।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी संघों के अध्यक्ष/उनके प्रतिनिधि का स्वागत किया गया। तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि कोविड संक्रमण को रोकन हेतु कुछ शर्तो के साथ **दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.07.2020 तक अनलॉक–2** की प्रक्रिया प्रारंभ है। कुछ प्रतिबंधित सेवाओं को छोडकर लगभग सभी गतिविधियॉ सामान्य रूप से जारी है। **रात्रि 10.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू घोषित** है तथा इसमें आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी कार्य बंद रहेंगें।

जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि यद्यपि अनलॉक–2 घोषित है तथा इसके बावजूद देश/जिला में कोविड–19 वायरस के संक्रमण में लगातर वृद्धि हो रही है। जिसके मद्देनजर विशेष सतर्कता /सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। इनके द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि इस बीमारी का कोई दवा का इजहार अभी तक नहीं हो पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्स स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा **कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव का एकमात्र साधन/दवा, दो गज की दूरी एवं मास्क का प्रयोग** जरूरी बताया गया है। ।

जिला पदाधिकारी जानकारी दी गयी कि सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन एवं मास्क का प्रयोग हर हाल में किया जाना है। जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्त्यिों के विरूद्ध जिला प्रशासन के स्तर से भी कार्रवाई की जायेगी तथा वैसे दुकानदार जो मास्क का प्रयोग नहीं करेंगें तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को अपने दुकान से यदि उन्हें सामग्री देंगें तो उनके विरूद्ध भी कार्रवाई की जायेगी। जिला पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी दुकानदार अपने पास कुछ मास्क रखेंगें।

दुकानदार का दायित्व होगा कि अपने दुकान पर बिना मास्क/चेहरा ढके कोई व्यक्ति यदि आता है तो उन्हें स्पष्ट हिदायत देंगें कि पहले वे अपना चेहरा ढकें। उसके उपरांत ही उन्हें सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। यदि ग्राहक द्वारा मास्क का अनुपलब्धता बताया जाता है तो वे अपने पास से भुगतान के आधार पर मास्क ग्राहक को उपलब्ध करायेंगें। इसके उपरांत ही उन्हें सामग्री देंगें।

यह भी जानकारी दी गयी कि यदि बाजार में मास्क उपलब्ध हो उसे खरीद करें अन्यथा **खादी भंडार, अरवल एवं परियोजना प्रबंधक, जीविका, अरवल मो0 7808920790** से सम्पर्क कर मास्क खरीद सकते है।

उपस्थित सभी संघों के जिला अध्यक्ष/प्रतिनिधि द्वारा एकमत से स्वीकार किया गया कि वे सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन एवं मास्क का प्रयोग करेंगें तथा इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगें तथा यह भी आश्वासन दिया गया कि बिना मास्क के ग्राहक को सामग्री आपूर्ति नहीं करायी जायेगी।

**अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।**

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक : 962 /गो० अरवल, दिनांक 01/7/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, अरवल/उप विकास आयुक्त, अरवल/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, अरवल/अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/परियोजना प्रबंधक, जीविका/सभी अंचल अधिकारी एवं थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि इसकी प्रति दुकानदार संघों के अध्यक्ष/प्रतिनिधि को उपलब्ध करा देंगें।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

D:\Office\2020\Proceeding\Covid-19 01.07.2020 Drug asso.docx